



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1944)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख

थाना बड़गोदा अंतर्गत पुलिस चौकी डोंगरगांव खरगौन में दुखद घटना पर चर्चा की मांग

सर्वश्री बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि कल सदन में चर्चित प्रकरण में हम लोग घटनास्थल से होकर आये हैं. आदिवासी युवती जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके परिजनों से हम मिलकर आये हैं. पुलिस की गोली से 20 वर्षीय व्यक्ति भैरू सिंह की मृत्यु हुई. उस युवती के शरीर पर चोट आई थी, जिससे उसकी हत्या होने की आशंका है. पुलिस ने उनके परिवार के खिलाफ ही एफ.आई.आर. दर्ज कर दी. इस पर गृह मंत्री का पूर्ण वक्तव्य आना चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने आश्वस्त किया था कि पी.एम. रिपोर्ट आने के बाद वे सदन में फिर से वक्तव्य देंगे.

आसंदी ने माननीय सदस्यगण को निर्देशित किया कि अभी प्रश्नकाल हो जाने दें. शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया जायेगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि उस मृतक युवती की शार्ट पी.एम. रिपोर्ट आ गई है. जिसमें करंट से युवती की मौत होना बताया गया है. सी.सी.टी.वी. फुटेज देखने पर स्पष्ट है कि उस थाने पर बलवे में थानेदार की आंख में गहरी चोट आई जिससे उनको दिखना बंद हो गया है. इसी आधार पर 13 या 17 व्यक्तियों पर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है. जिसमें उसके पिता का नाम भी शामिल है. इस घटना के विजुअल की जांच के आदेश दे दिये हैं और उस परिवार के साथ न्याय किया जायेगा. उस जाँच में हम जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, उस बिन्दु को भी शामिल कर लेंगे.

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.10 बजे प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 12.03 बजे पुनः समवेत हुई.

2. प्रश्नोत्तर

व्यवधान होने के कारण आज प्रश्नकाल में मौखिक प्रश्नोत्तर नहीं हो सके. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 156 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 184 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

3. गर्भगृह में प्रवेश

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, कांग्रेस सदस्य ने गर्भगृह में प्रवेश किया घुटनों पर बैठीं और हाथ जोड़कर पुलिस चौकी, डोंगरगांव में घटित घटना के संबंध में चर्चा की मांग की जिस पर उनकी पार्टी की अन्य महिला सदस्यगण द्वारा उनको आग्रहपूर्वक सदन से बाहर ले जाया गया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 20 सूचनाएं नियम 267-क (2) शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है. ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा. तदनुसार

- (1) डॉ.सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना नगर वी.आई.पी. रोड डबल लेन की अधूरी निर्मित रोड को पूर्ण कराये जाने,
- (2) श्री सुनील सराफ, सदस्य की कोतमा विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी नियम या आदेश के पक्के मकानों का डायवर्सन किये जाने,

- (3) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र मकरोनिया विधानसभा सागर में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं न मिलने,
- (4) श्री दिनेश राय, सदस्य की जनपद पंचायत छपारा के अंतर्गत शक्कर नदी में जलाशय/बांध निर्माण कराये जाने,
- (5) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को ईलाज हेतु भोपाल के स्थान पर जबलपुर कटनी में अस्पताल स्थापित किये जाने,
- (6) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले के बरही नगर से संचालित शासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी होने,
- (7) श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, सदस्य की प्रदेश में बी.पी.एल. राशन कार्ड न बनाये जाने,
- (8) श्री महेश परमार, सदस्य की प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की सप्लाई होना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किये जाने,
- (9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की इंदौर खनिज अधिकारी द्वारा अवैध उत्खननकर्ताओं से सांठ-गांठ की जाने,
- (10) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय शालाओं के भवनों की हालत जर्जर होने,
- (11) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा तहसील में जल संकट को दूर करने हेतु मचून डेम का निर्माण कराये जाने,
- (12) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की नर्मदा काली सिंध लिफ्ट योजना में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों को छोड़ दिये जाने से सिंचाई का लाभ न मिलने,
- (13) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की पूर्व अभियंता पी.डब्लू.डी. व मुख्य अभियंता राजधानी परिक्षेत्र भोपाल के विरुद्ध लंबित शिकायतों पर कार्यवाही न की जाने,
- (14) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र एवं जिले की पुरानी तहसील "हटा" को जिला बनाये जाने,
- (15) श्री संजय उईके, सदस्य की बालाघाट जिले के बैहर को जिला बनाये जाने,
- (16) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के ग्राम पिपरहा चिनकी उदवहन सिंचाई अंतर्गत कृषकों की डूब में आई उपजाऊ भूमि निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार मुआवजा न दिये जाने,
- (17) श्री मनोज चावला, सदस्य की रतलाम जिले के तत्कालीन खेल अधिकारी द्वारा अधिनस्थ कर्मचारियों के नाम पर लाखों रूपयों की हेरा फेरी कर भ्रष्टाचार किये जाने,
- (18) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह, सदस्य की कटनी जिले की जनपदों में पदस्थ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा कोषालय अधिकारी की मिली भगत से सरपंचों के मानदेय में हेरा फेरी कर राशि आहरित की जाने,
- (19) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की नर्मदापुरम के नगर पिपरिया में स्टेट हाइवे स्थित क्षतिग्रस्त हुए रपटे का निर्माण कराये जाने तथा
- (20) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की श्रमिकों की सुविधा हेतु मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाले द्वितीय ई.एस.आई.सी. मॉडल अस्पताल को पूर्वी मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थापित कराये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

5. ध्यानाकर्षण एवं अध्यक्षीय घोषणा

सदन में व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि ध्यानाकर्षण की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी और उनके उत्तर कार्यवाही में सम्मिलित किये जायेंगे. तदनुसार -

(1) सर्वश्री अर्जुन सिंह काकोडिया, संजय सत्येन्द्र पाठक, नारायण सिंह पट्टा, सदस्यगण की सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु लगे प्रतिबंध को हटाये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(2) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की पांचवीं एवं आठवीं की परीक्षा को बोर्ड पैटर्न से मुक्त रखे जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य.

(3) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की वर्ष 2006 से 2008 तक जन्म लेने वाली बालिकाओं को लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ न मिलने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री रमेश मेन्दोला, सदस्य की शिक्षा के अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के शुल्क की प्रतिपूर्ति न किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य.

- (5) श्री लाखन सिंह यादव, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.
- (6) श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्य की उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को खाली कराये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (7) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में अपराधियों पर कार्यवाही न कर प्रकरण वापस न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.
- (8) इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली क्षेत्र के ग्राम लिथोराहाट में आवासीय डायवर्सन की अनुमति न दिये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.
- (9) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य की गुना जिला सहकारी बैंक की चंदेरी शाखा द्वारा जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.
- (10) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सदस्य की प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न न मिलने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.
- (11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की उज्जैन जिले की क्षिप्रा नदी में शहर की होटलों एवं सीवेज का गंदा पानी मिलने से नदी प्रदूषित होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (12) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि भुगतान के प्रकरण लंबित होने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.
- (13) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम एवं मजदूरी न मिलने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.
- (14) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की भोपाल के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में सीवेज लाईन क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (15) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की बिछिया क्षेत्र अंतर्गत नहरों की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.
- (16) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर नगर पालिका की स्वामित्व की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (17) सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, ग्यारसीलाल रावत, डॉ. विजयलक्ष्मी साधू, सदस्यगण की राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 पर वाहनों की आये दिन भिड़ंत होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.
- (18) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की प्रदेश के स्कूली छात्रों को सायकिल का वितरण न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य.
- (19) सर्वश्री आलोक चतुर्वेदी, आरिफ मसूद, सदस्यगण की सहारा इंडिया द्वारा जमाकर्ताओं की राशि वापस न किये जाने संबंधी सूचना तथा वित्त मंत्री का वक्तव्य.
- (20) श्री शिवदयाल बागरी, सदस्य की पन्ना जिले में धान खरीदी का पैसा कृषकों के खाते में न डाले जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.
- (21) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्यगण की सतना जिले के अमुआ वीट में अवैध उत्खनन के दोषियों पर कार्यवाही न होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.
- (22) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य की विदिशा जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न न मिलने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य पढ़े हुए माने गए.
- डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि आज की कार्यसूची में अंकित ध्यानाकर्षण अगले कार्य दिवस में ले लिए जाएं. इस पर आसंदी द्वारा विचार करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया.

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 64-नागौद से निर्वाचित सदस्य, श्री नागेन्द्र सिंह को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

7. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

- (1) श्री सुरेश राजे, (जिला-ग्वालियर)
- (2) श्री पी.सी. शर्मा, (जिला-भोपाल शहर)
- (3) श्री प्रहलाद लोधी, (जिला-पन्ना)
- (4) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, (जिला-देवास)
- (5) श्री शैलेन्द्र जैन, (जिला-सागर शहर)
- (6) श्री आलोक चतुर्वेदी, (जिला-छतरपुर)
- (7) श्री कुंवरजी कोठार, (जिला-राजगढ़)
- (8) डॉ. सतीश सिकरवार, (जिला-ग्वालियर शहर)
- (9) श्री अनिल जैन, (जिला-निवाड़ी)
- (10) श्री मुकेश रावत (पटेल), (जिला-अलीराजपुर)
- (11) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, (जिला-दमोह)
- (12) श्री हर्ष यादव, (जिला-सागर)
- (13) सुश्री चंद्रभागा किराड़े, (जिला-बड़वानी)
- (14) श्री आरिफ मसूद, (जिला-भोपाल शहर)
- (15) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, (जिला-विदिशा)
- (16) श्री शरद जुगलाल कोल, (जिला-शहडोल)
- (17) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय, (जिला-दमोह)
- (18) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू, (जिला-नीमच)
- (19) श्री जालम सिंह पटेल, (जिला-नरसिंहपुर)
- (20) श्री दिलीप सिंह परिहार, (जिला-नीमच)
- (21) श्री रामचंद्र दांगी, (जिला-राजगढ़)
- (22) श्री संजय यादव, (जिला-जबलपुर)
- (23) श्री रामपाल सिंह, (जिला-रायसेन)
- (24) श्री राकेश मावई, (जिला-मुरैना)
- (25) श्री मुरली मोरवाल, (जिला-उज्जैन)
- (26) श्री निलय विनोद डागा, (जिला-बैतूल)
- (27) श्रीमती सुनीता पटेल, (जिला-नरसिंहपुर)
- (28) श्री दिनेश राय, (जिला-सिवनी)
- (29) श्री प्रताप ग्रेवाल, (जिला-धार)
- (30) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, (जिला-रतलाम)
- (31) डॉ. हिरालाल अलावा, (जिला-धार)
- (32) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, (जिला-उज्जैन)
- (33) श्री नीरज विनोद दीक्षित, (जिला-छतरपुर)
- (34) श्री संजय शर्मा, (जिला-नरसिंहपुर)
- (35) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार, (जिला-मुरैना)
- (36) श्री पंचूलाल प्रजापति, (जिला-रीवा)
- (37) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, (जिला-रीवा)
- (38) श्री उमाकांत शर्मा, (जिला-विदिशा)

8. वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

(1) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन की मांगों पर दिनांक 16 मार्च, 2023 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

(10) श्री पी.सी. शर्मा

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सूचित किया गया कि सदन की लॉबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(11) श्री आकाश कैलाश विजयवर्गीय

(12) श्रीमती कल्पना वर्मा

(13) श्री जालम सिंह पटेल (चर्चा अपूर्ण)

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

9. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि शेष विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा आगामी कार्य दिवस में जारी रहेगी. अब अशासकीय संकल्पों पर चर्चा प्रारंभ होगी.

10. अशासकीय संकल्प.

(1) श्री विक्रम सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बगहाई रोड रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रामपुर बघेलान रोड किया जाए.”. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम स्व. श्री कैलाश नारायण सारंग के नाम पर रखा जाये.”. श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

श्री संजय यादव, सदस्य द्वारा (अहीर रेजीमेंट संबंधी उनके) अशासकीय संकल्प पर भी चर्चा की मांग की गई. आसंदी द्वारा इस मामले को आगामी कार्य दिवस में शून्यकाल में उल्लेख करने हेतु उन्हें आश्वस्त किया गया.

अपराहन 1.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 (29 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 17 मार्च, 2023

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.